

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजक विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर
अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 23, 2026

संख्या जेडीजेड/ 1120 /मा.प्ला./21776356:-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 5(1) के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा-7(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधिसूचित सोजत के नगरीय क्षेत्र के लिए अनुमोदित सोजत मास्टर प्लान-2031 के भू-उपयोग मानचित्र-2031 में निजी खातेदारी कृषि भूमि पर दर्शित श्मशान / कब्रिस्तान पर प्राप्त प्रतिवेदन, नगरपालिका एवं तहसीलदार (राजस्व) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सोजत मास्टर प्लान-2031 में खसरा संख्या 3579 / 1, 3583 / 1, 3584 / 1 की भूमि में प्रस्तावित श्मशान / कब्रिस्तान के स्थान पर आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित कर, खसरा भूमि में मास्टर प्लान की 36 मीटर प्रस्तावित सड़क को यथावत रखते हुए मास्टर प्लान संशोधन हेतु प्रारूप तैयार किया गया है। सोजत मास्टर प्लान-2031 (संशोधन-प्रारूप) के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस (दिनांक 30.04.2026 से 29.05.2026 तक) में कोई भी व्यक्ति / संस्था, फर्म इत्यादि द्वारा अपनी आपत्ति / सुझाव कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर / कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर / जिला नगर नियोजन इकाई, पाली अथवा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सोजत में प्रस्तुत की जा सकती है। मास्टर प्लान के उक्त प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रारूप भू-उपयोग मानचित्र का उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नगर पालिका सोजत के कार्यालय भवन में अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त अवधि में मास्टर प्लान के इस प्रारूप से संबंधित मानचित्र कार्यालय नगर पालिका, सोजत से क्रय किया जा सकता हैं, एवं नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट <https://urban.rajasthan.gov.in/townplanning/> से भी डाउनलोड किया जा सकता हैं।

भूपेन्द्र कुमार,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
जोधपुर जोन, जोधपुर।